

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

राँची, दिनांक-

संख्या-15/सा०अव०-03-01/2023 का. - / भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-ECI/PN/2/2023 दिनांक-18.01.2023) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक-124 दिनांक-18.01.2023 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 23-रामगढ़ में विधानसभा उप चुनाव, 2023 के लिए रामगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत झारखण्ड सरकार के सभी कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि-27.02.2023 (सोमवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ब्रज माधव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/सा०अव०-03-01/2023 का. - 748/राँची, दिनांक- 08.02.2023

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

07/2/2023
सरकार के अवर सचिव